

संशोधन

संख्या- 1131 /1-10-2016-33(16)/2015

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

फिरोजाबाद, मथुरा, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज, इलाहाबाद, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, आजमगढ़, बलिया, बरेली, शाहजहाँपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बाराबंकी, अम्बेडकर नगर, सुलतानपुर, अमेठी, गोरखपुर, कुशीनगर, झांसी, जालौन, ललितपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, बुलन्दशहर, गौतमबुद्धनगर, हापुड, बागपत, मीरजापुर, भदोही, मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, चन्दौली, देवरिया, सिद्धार्थनगर, बस्ती एवं सन्त कबीरनगर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 14 अक्टूबर, 2016

विषय:- फरवरी, मार्च एवं अप्रैल, 2015 में चक्रवाती तूफान के फलस्वरूप ओलावृष्टि/अतिवृष्टि से हुई कृषि फसलों की क्षति से प्रभावित अवशेष किसानों को कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने के लिये राज्य सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2016-17 में धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-1128/1-10-2016-33(16)/2015, दिनांक 10.10.2016 द्वारा फरवरी, मार्च एवं अप्रैल, 2015 में चक्रवाती तूफान के फलस्वरूप ओलावृष्टि/अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने के लिये प्रदेश के 52 जनपदों को ₹0 16,99,72,00,000/- (रूपये सोलह अरब निन्यानबे करोड़ बहतर लाख मात्र) की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

2- यह उल्लेख करना है कि 52 जनपदों को स्वीकृत धनराशि ₹0 16,99,71,00,000/- (रूपये सोलह अरब निन्यानबे करोड़ इकहतर लाख मात्र) के स्थान पर ₹0 16,99,72,00,000/- (रूपये सोलह अरब निन्यानबे करोड़ बहतर लाख मात्र) अंकित हो गया है। अतः उक्त धनराशि को ₹0 16,99,71,00,000/- (रूपये सोलह अरब निन्यानबे करोड़ इकहतर लाख मात्र) पढ़ा जाय तथा पूर्व में निर्गत शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

3- शासनादेश संख्या-1128/1-10-2016-33(16)/2015, दिनांक 10.10.2016 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय,
(राहुल भटनागर)
मुख्य सचिव

संख्या- 113 / 1-10-2016, तद्विस्तार

प्रतिनिधि निम्नलिखित की सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेशित :-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, 3000 इलाहाबाद ।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, 3000 लखनऊ ।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व तथा सचिव राजस्व 3000 शासन ।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्योत्तर राहत आयुक्त, संगठन, 3000।
- 6- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी ।
- 7- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यूएनआईसी.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु ।
- 8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
- 9- गाई फाइल ।

आज्ञा से,

(सुरेश चन्दा)

प्रमुख सचिव।